

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 5]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 30 जनवरी 2026—माघ 10, शक 1947

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 16 दिसम्बर 2025

क्रमांक ESTB-102(1)/593/2025-GAD-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री आकाश छिकारा, भा.प्र.से. (2017) उप सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्वेष घृतलहरे, उप सचिव.

वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 14 जनवरी 2026

क्रमांक ESTB-1027/3179/2025-IFS.—राज्य शासन एतद्वारा निम्नलिखित भारतीय वन सेवा के अधिकारियों को उनकी अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने के फलस्वरूप उनके नाम के समक्ष कॉलम-4 में उल्लेखित तिथि को शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त करता है :—

क्र. (1)	अधिकारी का नाम (2)	जन्मतिथि (3)	सेवानिवृत्ति तिथि (4)
1.	श्री कौशलेन्द्र कुमार (1992)	04-10-1967	31-10-2027
2.	श्री अरूण कुमार पाण्डेय (1994)	01-07-1967	30-06-2027
3.	श्री ओम प्रकाश यादव (1995)	28-02-1967	28-02-2027
4.	श्री रामअवतार दुबे (2007)	24-08-1967	31-08-2027
5.	श्री रमेश चन्द्र दुग्गा (2007)	07-09-1967	30-09-2027
6.	श्री लक्ष्मण सिंह (2010)	01-10-1967	30-09-2027
7.	श्री बी. एस. सरोटे (2019)	18-05-1967	31-05-2027

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. आर. चन्द्रवंशी, अवर सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय कलेक्टर, जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, दिनांक 15 दिसम्बर 2025

प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/2024-25/4101.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची				धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	भूमि का वर्णन नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गौरेला-पेण्ड्रा- मरवाही	मरवाही	सेमरदरी प.ह.नं. 25	1.996	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग मरवाही, मु. पेण्ड्रारोड	बुन्देलीटोला व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत डुबान एवं नहर कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मरवाही के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
लीना कमलेश मंडावी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-बिलासपुर, छत्तीसगढ़
एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व
एवं आपदा प्रबंधन विभाग

खसरा नम्बर

रकबा
(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

बिलासपुर, दिनांक 17 दिसम्बर 2025

645/1

0.036

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 05/अ-82/2024-25.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

योग

1

0.036

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तखतपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-सकरी

(ग) नगर/ग्राम-खरकेना

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.036 हेक्टेयर

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

संजय अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, बलौदाबाजार (छ.ग.)

बलौदाबाजार, दिनांक 2 अप्रैल 2025

प्रारूप-पाँच

वर्तमान भूमि-उपयोग मानचित्र के अंतिम प्रकाशन का प्रारूप

क्रमांक 339/सर्वे/नग्रानि/2025.—खपराडीह निवेश क्षेत्र के लिए वर्तमान भूमि-उपयोग हेतु मानचित्र को छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 15 की उप-धारा (1) के अधीन छत्तीसगढ़ राजपत्र दिनांक 12 फरवरी, 2019 में प्रकाशित किया गया था एवं उक्त धारा की उप-धारा (2) के उपबंधों के अधीन जनता से आपत्तियाँ एवं सुझाव आमंत्रित किये गये. समस्त ऐसे व्यक्तियों को, जिन्होंने आपत्ति या सुझाव, उपांतरण प्रस्तुत किए हैं, अपेक्षित विचारण उसमें किया गया.

यतः उपरोक्त निवेश क्षेत्र के लिए वर्तमान भूमि उपयोग हेतु मानचित्र, उक्त अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (3) के अधीन एतद्द्वारा, अंगीकृत किया जाता है एवं सूचना की प्रति उक्त अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (4) के अनुसरण में “छत्तीसगढ़ राजपत्र” में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है. जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि उक्त मानचित्र सम्यक् रूप से तैयार तथा अंगीकृत कर लिया गया है.

उक्त अंगीकृत मानचित्र की प्रति छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के लिए कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण हेतु निम्नलिखित कार्यालयों में उपलब्ध रहेंगी :—

1. संभागीय आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर (छ.ग.)
2. जिला कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.)
3. नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, बलौदाबाजार (छ.ग.)
4. ग्राम पंचायत, खपराडीह, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.)

बलौदाबाजार, दिनांक 8 जनवरी 2026

प्रारूप-पाँच

वर्तमान भूमि-उपयोग मानचित्र के अंतिम प्रकाशन का प्रारूप

क्रमांक 14/सर्वे/नग्रा/2026.—गिरौदपुरी निवेश क्षेत्र के लिए वर्तमान भूमि-उपयोग हेतु मानचित्र को छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 15 की उप-धारा (1) के अधीन छत्तीसगढ़ राजपत्र दिनांक 24 अप्रैल 2020 में प्रकाशित किया गया था एवं उक्त धारा की उप-धारा (2) के उपबंधों के अधीन जनता से आपत्तियाँ एवं सुझाव आमंत्रित किये गये. समस्त ऐसे व्यक्तियों को, जिन्होंने आपत्ति या सुझाव, उपांतरण प्रस्तुत किए हैं, अपेक्षित विचारण उसमें किया गया.

यतः उपरोक्त निवेश क्षेत्र के लिए वर्तमान भूमि उपयोग हेतु मानचित्र, उक्त अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (3) के अधीन एतद्वारा, अंगीकृत किया जाता है एवं इस सूचना की प्रति उक्त अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (4) के अनुसरण में “छत्तीसगढ़ राजपत्र” में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है. जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि उक्त मानचित्र सम्यक् रूप से तैयार तथा अंगीकृत कर लिया गया है. उक्त अंगीकृत मानचित्र की प्रति छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के लिए कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण हेतु निम्नलिखित कार्यालयों में उपलब्ध रहेंगी :—

1. संभागीय आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर (छ.ग.)
2. जिला कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.)
3. नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, बलौदाबाजार (छ.ग.)
4. ग्राम पंचायत, गिरौद जिला बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.)

बी. एल. बांधे

उप संचालक

कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा), जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

उत्तर बस्तर कांकेर, दिनांक 8 दिसम्बर 2025

क्रमांक 150.—छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व, संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 68 व 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियाँ अद्योहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है. जिसके तहत ग्राम पंचायत सारवण्डी प.ह.नं.-08 रा.नि.मं. दुधावा तहसील सरोना में स्थित ग्राम सारवण्डी से आश्रितपारा सालहेटोला को पृथक कर नवीन राजस्व ग्राम सालहेटोला घोषित करने हेतु अभिलेखों का प्रारंभिक प्रकाशन अधिसूचना क्रमांक 66 दिनांक 25-06-2025 को किया गया था. जिसमें किसी भी प्रकार की कोई दावा आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ.

अतः छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 68, 69, 70, 72 तथा 73 के अधीन दिये गये शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित आश्रित ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, अर्थात् :—

स. क्र.	ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रकबा (हे. में.)	ग्राम की सीमाएं	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	साल्हेटोल	225.28	उत्तर दिशा में—ग्राम धनोरा दक्षिण दिशा में—ग्राम भीमाडीह पूर्व दिशा में—ग्राम दुधावा पश्चिम दिशा में — सारवण्डी	08	सारवण्डी	सरोना	उत्तर बस्तर कांकेर

निलेश कुमार महादेव क्षीरसागर,
कलेक्टर.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 24th September 2025

No. 42/L.G./2025/II-3-25/2007.—Shri Mansoor Ahmed, the then Principal District & Sessions Judge, Jashpur is hereby, granted earned leave for 03 days from 29-12-2024 to 31-12-2024 in continuation of winter vacation along with permission to remain out of headquarters.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Ahmed, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+15 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 24th September 2025

No. 43/L.G./2025/II-2-11/2017.—Dr. Pragya Pachouri, Judge, Family Court, Surajpur is hereby, granted earned leave for 02 days on 13-11-2024 & 14-11-2024 along with permission to remain out of headquarters from 12-11-2024 till 16-11-2024, earned leave for 02 days on 02-12-2024 and 03-12-2024 along with permission to remain out of headquarters after the Court hours of 30-11-2024 till before the Court hours of 04-12-2024, earned leave for 02 days on 16-01-2025 & 17-01-2025 along with permission to remain out of headquarters after the Court hours of 15-01-2025 till before the Court hours of 20-01-2025, earned leave for 03 days from 27-01-2025 to 29-01-2025, earned leave for 03 days from 26-03-2025 to 28-03-2025, earned leave for 04 days from 03-06-2025 to 06-06-2025 along with permission to remain out headquarters from 03-06-2025 to 08-06-2025 and child-care-leave from 05 days from 14-07-2025 to 18-07-2025 along with permission to remain out of headquarters from 12-07-2025 to 20-07-2025

During the period of earned leave and child care leave, as the case may be, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Dr. Pachouri, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 143 days of earned leave & 709 days of child-care-leave are remaining in her leave account as on date.

By order of the High Court,
SANTOSH THAKUR, Additional Registrar (ADMN.)
